भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1982
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

गंगा पेयजल आपूर्ति

1982. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कौशाम्बी सेक्टर 14 स्थित आवासीय सोसाइटियों सीमांत विहार, आशापुष्प विहार, नीलम विहार और अन्य कॉलोनियों में गंगा पेयजल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थों (टीडीएस) के गुणवत्ता मानक क्या हैं;
(ख) क्या गाजियाबाद नगर निगम/राज्य सरकार के जल विभाग को कौशाम्बी सेक्टर 14 स्थित आवासीय सोसायटी के निवासियों से गंगा पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने/कुल घुले हुए ठोस पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) प्रतिदिन आपूर्ति किए जाने वाले गंगा पेयजल की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है और पेयजल आपूर्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सूचित किया गया है कि कौशाम्बी सेक्टर-14 स्थित आवासीय सोसाइटियां नामत: सीमान्त विहार, आशापुष्प विहार, नीलम विहार और अन्य कालोनियां गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वसुंधरा जोन के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में, क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रताप विहार में स्थित जल शोधन संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 55 मिलियन लीटर (एमएलडी) शोधित जल की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पेयजल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थ (टीडीएस) की स्वीकार्य सीमा 500 मिग्रा/ली निर्धारित की है जबकि हाल ही में की गई निगरानी एवं जांच में यह पाया

गया है कि गाजियाबाद में आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल में टीडीएस स्तर 90-100 मिग्रा/ली के रेंज में पाया गया है जो निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर है।

गाजियाबाद नगर निगम को आशापुष्प विहार को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कौशांबी, सेक्टर 14, गाजियाबाद के सचिव द्वारा गंगा पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव मिला है। तथापि, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम वसुंधरा जोन, जिसमें कौशाम्बी सेक्टर-14 शामिल है, की जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 55 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) पेयजल उपलब्ध करा रहा है और इसलिए अब तक गंगा जल की आपूर्ति के संबंध में और अधिक वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है।

अमृत प्रभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल राज्य का विषय होने के कारण, शहरी क्षेत्रों में लागू मानकों (पेयजल के लिए बीआईएस 10500:2012 मानक और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानदंड) के अनुसार जल गुणवत्ता तथा जल निकायों का प्रबंधन और रखरखाव राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। अमृत/अमृत 2.0 में जल गुणवत्ता के लिए अलग से दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, मिशन के दिशानिर्देशों में शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता मानकों की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।

*****